संख्या- 78 /2026/1824/22-2-2024-17(707)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2026

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सजीवन पुत्र श्री भगौती प्रसाद, निवासी जनपद-बस्ती की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सजीवन पुत्र श्री भगौती प्रसाद जो भरवलिया बाबू, थाना-वाल्टरगंज, जनपद-बस्ती का निवासी है। दिनांक 03.04.1995 को गोलू सिंह व राजन सिंह ने उर्मिला को शादी का झांसा देकर ले गये, और राम सजीवन के हवाले करके वापसे चले आये। राम सजीवन के पास उर्मिला 15 दिन तक रही और रोज उसके साथ गलत काम करने की घटना कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/2002 में भा०द०वि० की धारा-376, 368 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), बस्ती के आदेश दिनांक 23.03.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 06.02.2024 तक अपरिहार 01 वर्ष, 07 माह, 06 दिन तथा 01 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 06.02.2024 तक 65 वर्ष, 03 माह, 24 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी राम सजीवन पुत्र श्री भगौती प्रसाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (बलात्कार) एवं 10 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनांक 06.02.2024 तक अपरिहार 01 वर्ष, 07 माह, 06 दिन एवं सपरिहार 01 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सजीवन(बन्दी संख्या-402/2023) पुत्र श्री भगौती प्रसाद, निवासी जनपद-बस्ती की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 78 /2026/1824(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
2- अधीक्षक जिला कारागार बस्ती।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।